न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –174 / 2017

आदेश दिनांकः 31.07.2019

अनुवान – हुणताराम बनाम श्रीमती लिछमा देवी आदि

हुणताराम पुत्र स्व. पदमाराम जाति जाट निवासी कस्बा सुजानगढ वार्ड नं. 05 तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज.

– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति लिछमा देवी पत्नी श्री हुणताराम जाति जाट निवासी कस्बा सुजानगढ
2. प्रबंधक आरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा सुजानगढ
3. भंवरराम पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी कस्बा सुजागनढ
4. उप पंजियक सुजानगढ जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. श्री बजरंग सिहं एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री बसन्त कुमार एडवोकेट अप्रार्थी

आदेश

आदेश दिनांक –31.07.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट व आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा 151 दिवानी प्रकिया संहिता पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी मूलत ग्राम बाघसरा पूर्वी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान का निवासी है। प्रार्थी सन् 1954 में कस्बा सुजानगढ में आकर पहले मदनलाल खंत्री की किराने की दुकान पर मुनीम के रूप पर नौकरी करने लगा तथा समय पाकर प्रार्थी ने बाद में मदनलाल खत्री की दुकान में साझेदार हो गया और अच्छी आय प्राप्त करने लगा। उसके पश्चात सन् 1987 में प्रार्थी ने स्वयं की किराने की दुकान मुख्य बाजार सुजानगढ में कर ली। प्रार्थी ने 19.02.1976 को कस्बा सुजानगढ की रोही में स्थित खेत

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

तादादी 06 बीघा 11 बिश्वा, खेत खसरा नं. 339 तादादी 06 बीघा सम्पूर्ण, तथा खेत खसरा नं. 321 तादादी 21 बीघा 9 बिश्वा व खेत खसरा नं. 338 तादादी 01 बीघा अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा मुल वाद के निर्णय तक इस आश्य की प्रदान की जावे कि वादगत खेत खसरा नं. 315 तादादी 06 बीघा 11 बिश्वा, खेत खसरा नं. 339 तादादी 06 बीघा सम्पूर्ण, तथा खेत खसरा नं. 321 तादादी 21 बीघा 9 बिश्वा व खेत खसरा नं. 338 तादादी 01 बीघा में से उत्तरी तरफ 1/2 हिस्सा वाके रोही सुजानगढ ग्रामीण में स्थित है जो पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांकित 19.02.1976 के आधार पर प्रार्थी की सव अर्जित आय से खरीदा शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के है तथा पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांकित 01.07.1995 के आधार पर प्रार्थी की स्वयं की स्व अर्जित आय से खरीदा शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नं. 322 तादादी 01 बीघा 07 बिश्वा, खेत खसरा नं. 325 तादादी 06 बिश्वा, खेत खसरा नं. 337 तादादी 06 बीघा, खेत खसरा नं. 531 तादादी 03 बीघा 07 बिश्वा व खेत खसरा नं. 1801/1709 तादादी 01 बीघा कुल तादादी 12 बीघा वाके रोही सुजानगढ ग्रामीण तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित का वर्तमान राजस्व रिकार्ड गलत एवं शुन्य है। वादगत खेत प्रार्थी की स्वयं की स्व अर्जित आय से खरीद की दिनांक से प्रार्थी का निरन्तर बिना किसी बाघा के चला आ रही है। प्रार्थी वादगत खेतों का खातेदार कृषक है इसलिए अप्रार्थीनी संख्या 01 के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वो प्रार्थी के स्वयं की आय से खरीद शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत जो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की मद संख्या 02 दो व 03 तीन में वर्णित है में जबरन ताकत के बल पर प्रवेश नहीं करे तथा न ही प्रार्थी को वादगत खेतों से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करे न वादगत खेतों का किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण विक्रय दान, वसीयत इन्यादि करे व प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही अपने किसी एजेन्ट से करवाये जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़े तथा अप्रार्थी संख्या 04 चार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जावे कि दोराने दावा किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत हस्तान्तरण दस्तावेज वादगत खेतों के बाबत उसके समक्ष पेश किये जाने पर उनको पंजिकृत नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 05 को वर्जित किया जावे कि दोराने दावा वादगत खेतों के राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ छांया प्रति विक्रय पत्र दिनांक 19.02.1976, छांया प्रति विक्रय पत्र दिनांक 01.07.1995, छांया प्रति एक्श खसरा नं. 321,338 रोही सुजानगढ ग्रामीण, छांया प्रति जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खसरा नं. 321,338 रोही सुजानगढ ग्रामीण, छांया प्रति गिरदावरी संवत् 2072–2075 पेश कि जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सं. 01 की ओर से श्री बसन्त कुमार चोटिया अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अप्रार्थी सं. 01 की ओर से श्री बसन्त कुमार चोटिया अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 के तथ्य भ्रामक कपोल कल्पित गलत बयानी किये जाने से अस्वीकार है अप्रार्थिनी संख्या 01 ने अपने स्त्रीधन से दिनांक 19.02.1976 को वादगत भूमि विक्रय कि थी अप्रार्थिनी संख्या 01 का एकाकी कब्जा काश्त रहा हैं। प्रार्थी को स्व अर्जित सम्पति में कोई कानूनी अधिकार नही है। अप्रार्थिनी

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

संख्या 01 की स्व अर्जित सम्पति में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अधिकार हासिल नही हो सकते। प्रार्थी जानबुजकर उक्त सम्पति को हड़पने व खुर्द–बुर्द करने की कुचेष्ठा में सक्रिय है। अप्रार्थिनी संख्या 01 की स्वयं की आय से खरीद शुदा भूमि के विरूद्ध कानूनन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय कोस्ट खारिज फरमाया जावें।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी मूलत ग्राम बाघसरा पूर्वी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान का निवासी है। प्रार्थी सन् 1954 में कस्बा सुजानगढ में आकर पहले मदनलाल खंत्री की किराने की दुकान पर मुनीम के रूप पर नौकरी करने लगा तथा समय पाकर प्रार्थी ने बाद में मदनलाल खत्री की दुकान में साझेदार हो गया और अच्छी आय प्राप्त करने लगा। उसके पश्चात सन् 1987 में प्रार्थी ने स्वयं की किराने की दुकान मुख्य बाजार सुजानगढ में कर ली। प्रार्थी ने 19.02.1976 को कस्बा सुजानगढ की रोही में स्थित खेत तादादी 06 बीघा 11 बिश्वा, खेत खसरा नं. 339 तादादी 06 बीघा सम्पूर्ण, तथा खेत खसरा नं. 321 तादादी 21 बीघा 9 बिश्वा व खेत खसरा नं. 338 तादादी 01 बीघा अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा मुल वाद के निर्णय तक इस आश्य की प्रदान की जावे कि वादगत खेत खसरा नं. 315 तादादी 06 बीघा 11 बिश्वा, खेत खसरा नं. 339 तादादी 06 बीघा सम्पूर्ण, तथा खेत खसरा नं. 321 तादादी 21 बीघा 9 बिश्वा व खेत खसरा नं. 338 तादादी 01 बीघा में से उत्तरी तरफ 1/2 हिस्सा वाके रोही सुजानगढ ग्रामीण में स्थित है जो पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 19.02.1976 के आधार पर प्रार्थी की स्वअर्जित आय से खरीदा शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 01.07.1995 के आधार पर प्रार्थी की स्वयं की स्व अर्जित आय से खरीदा शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नं. 322 तादादी 01 बीघा 07 बिश्वा, खेत खसरा नं. 325 तादादी 06 बिश्वा, खेत खसरा नं. 337 तादादी 06 बीघा, खेत खसरा नं. 531 तादादी 03 बीघा 07 बिश्वा व खेत खसरा नं. 1801/1709 तादादी 01 बीघा कुल तादादी 12 बीघा वाके रोही सुजानगढ ग्रामीण तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित का वर्तमान राजस्व रिकार्ड गलत एवं शुन्य है। वादगत खेत प्रार्थी की स्वयं की स्व अर्जित आय से खरीद की दिनांक से प्रार्थी का निरन्तर बिना किसी बाधा के चला आ रही है। प्रार्थी वादगत खेतों का खातेदार कृषक है इसलिए अप्रार्थीनी संख्या 01 के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वो प्रार्थी के स्वयं की आय से खरीद शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत जो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की मद संख्या 02 दो व 03 तीन में वर्णित है में जबरन ताकत के बल पर प्रवेश नहीं करे तथा न ही प्रार्थी को वादगत खेतों से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करे न वादगत खेतों का किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण विक्रय दान, वसीयत इन्यादि करे व प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही अपने किसी एजेन्ट से करवाये। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में रामचन्द्र दत्तक पुत्र स्व. मुकनाराम, नोरतनमल दत्तक पुत्र स्व. बेगाराम, राजकुमार पुत्र हुणताराम, प्रमिला पुत्री हुणताराम के शपथ पत्रों कि ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया है कि वादगत कृषि भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 19.02.1976 में प्रार्थी ने अपने कमाई से अप्रार्थिनी संख्या 01 के

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

...में भूमि क्रय कि थी। अप्रार्थिनी संख्या 01 को अपने पिहर से कभी कोई आर्थिक सहायता नही मिली। प्रार्थी का खरीद शुदा खेतों पर कब्जा काश्त रहा है। अप्रार्थिनी संख्या 01 द्वारा कृषि कार्य नही करने के कारण कभी भी इन खेतों में गई ही नही है। इन खरीद शुदा खेतों का असली मालिक प्रार्थी है। वकील प्रार्थी ने प्रेमप्रकाश पुत्र हुणताराम के शपथ पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया है कि वादगत भूमि मेरे पिता हुणताराम ने अपने अकेले की स्वयं की आय से खरीद किया था। प्राथी अधिवक्ता ने AIR 1995 SUPREME COURT 2145, Docid # India Law Lib/1355094 (2018) 258 Taxman 1 Delhi High Court , 2017 (1) WLC (Raj.) UC 24 Rajasthan High Court [JAIPUR BENCH] के निर्णयों की नजीरे पेश की।

अप्रार्थिनी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थिनी संख्या 01 ने अपने स्त्रीधन से दिनांक 19.02.1976 को वादगत भूमि विक्रय कि थी अप्रार्थिनी संख्या 01 का एकाकी कब्जा काश्त रहा हैं। प्रार्थी को स्व अर्जित सम्पति में कोई कानूनी अधिकार नही है। अप्रार्थिनी संख्या 01 की स्व अर्जित सम्पति में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अधिकार हासिल नही हो सकते। प्रार्थी जानबुजकर उक्त सम्पति को हड़पने व खुर्द–बुर्द करने की कुचेष्ठा में सक्रिय है। अप्रार्थिनी संख्या 01 की स्वयं की आय से खरीद शुदा भूमि के विरूद्ध कानूनन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय कोस्ट खारिज फरमाया जावें।

वकील उभय पक्षों कि बहस का मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रार्थी द्वारा अपने सर्मथन में प्रस्तुत रामचन्द्र दत्तक पुत्र स्व. मुकनाराम, नोरतनमल दत्तक पुत्र स्व. बेगाराम, राजकुमार पुत्र हुणताराम, प्रमिला पुत्री हुणताराम के शपथ पत्र, प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थिनी संख्या 01 द्वारा क्रय कि गई भूमि मे प्रार्थी का सहयोग रहा है। अप्रार्थिनी संख्या 01 ने ऐसे को ठोस साक्ष्य पेश नही किये है। अप्रार्थिनी संख्या 01 द्वारा क्रय कि गई भूमि, कब्जा काश्त आदि संबंधी निर्णय मूल वाद में तय किया जाना है। यदि भूमि का क्रय, अन्तरण आदि हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को मूल वाद के निर्णय तक वर्जित किया जाता है कि खेत खसरा नं. 315 तादादी 06 बीघा 11 बिश्वा, खेत खसरा नं. 339 तादादी 06 बीघा सम्पूर्ण, तथा खेत खसरा नं. 321 तादादी 21 बीघा 9 बिश्वा व खेत खसरा नं. 338 तादादी 01 बीघा, खसरा नं. 322 तादादी 01 बीघा 07 बिश्वा, खेत खसरा नं. 325 तादादी 0.06 बीघा, खेत खसरा नं. 337 तादादी 06 बीघा, खेत खसरा नं. 531 तादादी 03 बीघा 07 बिश्वा व खेत खसरा नं. 1801/1709 तादादी 01 बीघा कुल तादादी 12 बीघा वाके रोही सुजानगढ ग्रामीण तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित भूमि का विक्रय नही करे एवं रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ, जिला–चूरू

उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ

(रतन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

...में भूमि क्रय कि थी। अप्रार्थिनी संख्या 01 को अपने पिहर से कभी कोई आर्थिक सहायता नही मिली। प्रार्थी का खरीद शुदा खेतों पर कब्जा काश्त रहा है। अप्रार्थिनी संख्या 01 द्वारा कृषि कार्य नही करने के कारण कभी भी इन खेतों में गई ही नही है। इन खरीद शुदा खेतों का असली मालिक प्रार्थी है। वकील प्रार्थी ने प्रेमप्रकाश पुत्र हुणताराम के शपथ पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया है कि वादगत भूमि मेरे पिता हुणताराम ने अपने अकेले की स्वयं की आय से खरीद किया था। प्राथी अधिवक्ता ने AIR 1995 SUPREME COURT 2145, Docid # India Law Lib/1355094 (2018) 258 Taxman 1 Delhi High Court , 2017 (1) WLC (Raj.) UC 24 Rajasthan High Court [JAIPUR BENCH] के निर्णयों की नजीरे पेश की।

अप्रार्थिनी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थिनी संख्या 01 ने अपने स़्त्रीधन से दिनांक 19.02.1976 को वादगत भूमि विक्रय कि थी अप्रार्थिनी संख्या 01 का एकाकी कब्जा काश्त रहा हैं। प्रार्थी को स्व अर्जित सम्पति में कोई कानूनी अधिकार नही है। अप्रार्थिनी संख्या 01 की स्व अर्जित सम्पति में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अधिकार हासिल नही हो सकते। प्रार्थी जानबुजकर उक्त सम्पति को हड़पने व खुर्द–बुर्द करने की कुचेष्ठा में सक्रिय है। अप्रार्थिनी संख्या 01 की स्वयं की आय से खरीद शुदा भूमि के विरूद्ध कानूनन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय कोस्ट खारिज फरमाया जावें।

वकील उभय पक्षों कि बहस का मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रार्थी द्वारा अपने सर्मथन में प्रस्तुत रामचन्द्र दत्तक पुत्र स्व. मुकनाराम, नोरतनमल दत्तक पुत्र स्व. बेगाराम, राजकुमार पुत्र हुणताराम, प्रमिला पुत्री हुणताराम के शपथ पत्र, प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थिनी संख्या 01 द्वारा क्रय कि गई भूमि मे प्रार्थी का सहयोग रहा है। अप्रार्थिनी संख्या 01 ने ऐसे को ठोस साक्ष्य पेश नही किये है। अप्रार्थिनी संख्या 01 द्वारा क्रय कि गई भूमि, कब्जा काश्त आदि संबंधी निर्णय मूल वाद में तय किया जाना है। यदि भूमि का क्रय, अन्तरण आदि हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को मूल वाद के निर्णय तक वर्जित किया जाता है कि खेत खसरा नं. 315 तादादी 06 बीघा 11 बिश्वा, खेत खसरा नं. 339 तादादी 06 बीघा सम्पूर्ण, तथा खेत खसरा नं. 321 तादादी 21 बीघा 9 बिश्वा व खेत खसरा नं. 338 तादादी 01 बीघा, खसरा नं. 322 तादादी 01 बीघा 07 बिश्वा, खेत खसरा नं. 325 तादादी 0.06 बीघा, खेत खसरा नं. 337 तादादी 06 बीघा, खेत खसरा नं. 531 तादादी 03 बीघा 07 बिश्वा व खेत खसरा नं. 1801/1709 तादादी 01 बीघा कुल तादादी 12 बीघा वाके रोही सुजानगढ ग्रामीण तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित भूमि का विक्रय नही करे एवं रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ

(रतन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ, जिला–चूरू